छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
मेहता गैरेज के पीछे, जय भोले काम्पलेक्स के सामने आशीर्वाद भवन पंडरी रायपुर
फोन नं0–0771–2420032

अधिसूचना

दिनांक 2/11/12

क्रमांक 01 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गो के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) योजना का लाभ निर्माण मजदूर हेतु अधिसूचित सभी प्रकार के प्रवर्गो के छत्तीसगढ़ के मूल रहवासी श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।

(ii) बंधक निर्माण मजदूर को प्रदेश में वापस आने के पश्चात् संबंधित जिले के माध्यम से मंडल में पंजीकृत किया जावेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया

(i) श्रम विभाग द्वारा अनुसंशित बंधुआ निर्माण मजदूर को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।

(ii) योजना का लाभ बंधुआ निर्माण मजदूर को मंडल द्वारा एक ही बार देय होगा।

योजना हेतु व्यय :-

(i) निर्माण मजदूर हेतु अधिसूचित सभी प्रकार में से किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले मजदूर अन्य प्रांतो में बंधक बनाये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में वापस लाने हेतु रूपये 2,000/- (अक्षरी रूपये दो हजार) तक प्रति श्रमिक प्रदाय किया जावेगा। यह व्यय तब भी देय होगा, जब किन्ही कारणों से अन्य प्रांत के संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा बंधक मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय नहीं किया जाता है, किन्तु यहां से गई टीम श्रमिक को वापस छत्तीसगढ़ लाने का निर्णय लेती है।

(ii) बंधक निर्माण मजदूर को अवमुक्त कराकर प्रदेश में वापस लाये जाने के पश्चात् प्रत्येक श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्चयकतानुसार वस्त्र के लिए रूपये 2,000/- (अक्षरी रूपये दो हजार) तक प्रदाय किया जावेगा।

(iii) इस तरह प्रत्येक बंधक निर्माण मजदूर के लिए कुल रूपये 4,000/- (अक्षरी रूपये चार हजार) तक का भुगतान मंडल द्वारा श्रम विभाग से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को प्रदाय किया जावेगा।

(ई) स्वीकृति का अधिकार :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

(फ) विसंगति का निराकरण-

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर